उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H.02423 */C-6 /Gen-791/ O.A. No.462/2023 /2023* *Dated* 30/10/23

To,

The Registrar General,
Hon'ble, National Green Tribunal,
Principal Bench,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi- 110001 .

Sub: **Regarding submission of Joint Committee Report in compliance of the order dated 02.08.2023 in OA no. 462/2023 In the matter of Raja Ram Singh Vs. State of U.P.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 02.08.2023 in OA no. 462/2023 In the matter of Raja Ram Singh Vs. State of UP, The Joint Committee Report is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above

(Dr. Ram Karan)
Chief Environment Officer
(Circle-6)

Copy to: Following for information and further necessary action.

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

Chief Environment Officer
(Circle-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

Joint Committee Report

In reference to Hon'ble NGT order in the matter of Original Application No. 462/2023, Raja Ram Singh Versus State of U.P

Hon'ble NGT has constituted a joint committee vide its Order dated 02.08.2023 in Original Application No. 462/2023, Raja Ram Singh Versus State of U.P. The operative part of the order is as follows: -

> *"1. The grievances in the present application are regarding illegal mining by Mr. Brij Bhushan Sharan Singh Member Parliament from Kesarganj in villages Majharath, Jaitpur, Nawabganj, Tehsil- Tarbganj, District- Gonda, illegal transportation of the extracted minor minerals by overloaded Trucks numbering more than 700 every day, storage and illegal sale of minor mineral measuring about 20 lakh cubic meters and damage caused to Patpar Ganj Bridge and Road by overloaded trucks."*

1. For the compliance of Hon'ble NGT directives, following members have been nominated by the concerned departments: -
   - 1.1. Shri Suresh Kumar Soni, ADM, Gonda;
   - 1.2. Dr. Satya, Additional Director/Scientist 'E', MOEF & CC, Regional Office, Lucknow
   - 1.3. Shri Rajendra D Patil, Scientist-D, CPCB RD-Lucknow;
   - 1.4. Dr. Faiz Ullah Khan, EC, NMCG, New Delhi.
   - 1.5. Shri T.N. Singh, RO, UPPCB, Ayodhya;

A part from those mentioned above nominated for inspection of the questioned mining site, Shri Amit Ranjan, Mines Inspector, Gonda and the concerned officials of Revenue Department, Gonda such as Lekhpal, Revenue Inspector were also present during inspection.

2. The designated committee conducted the joint meeting through VC on 13.09.2023 to discuss the methods for compliance with the Hon'ble NGT directions. During the meeting committee decided to conduct a field visit on 21.09.2023.
3. UPPCB, the nodal agency, issued a letter to the applicant and the project proponent, against whom allegations have been made, requesting them to be present at the site during the field visit of the committee. The letters issued are attached in the Annexure [**Annexure 1(i) & 1(ii)**]
4. Regional Officer, UPPCB, Ayodhya said that the letter sent to the applicant has been returned by the postal department saying that the name and address of the person are incomplete. It was also informed that the address of the applicant was taken from the letterhead of the applicant through which the complaint has been filed before the Hon'ble NGT (**Annexure 02**).
5. However, the applicant could not present before the Committee. Therefore, the sites mentioned in the order of the Hon'ble Court were inspected on the basis of the documents provided by the Mining Inspector, Gonda and the District Authority, District Ayodhya. Representative of the so called Project Proponent Shri Sanjeev Kumar Singh S/o. Shri Ram Layak Singh, R/o. Civil Line, Gonda were present before the committee during the field visit on the day of the visit. The authority letter of the Shri Brij Bhushan Sharan Singh, Hon'ble Member of Parliament is annexed (**Annexure 03**).
6. Based on the records made available to the Committee by the concerned Department and observations made during the field visit the status is as follows:

6.1. Illegal transportation of the extracted minor minerals by overloaded trucks numbering more than 700 every day.

6.1.1. On the day of the visit, committee members visited the riverbed mining sites located at Majharath and Jaitpur villages. There was no approach road to the mining site, the committee members reached the mining site by crossing the distributaries (bifurcated river stream) of River Saryu and walking through muddy path sand sugarcane fields.

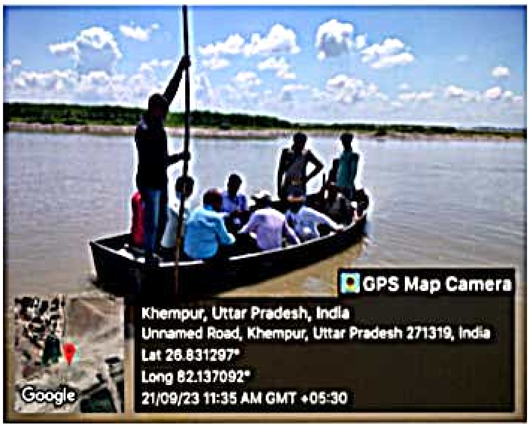

6.1.2. It is informed by the Mining Department, Gonda that mining leases has been allotted to Shri Satya Narayan S/o Shri Ram Avtar, R/o. Vill- Manjharath, Tehsil- Tarabganj, District- Gonda for removal of sand deposited in the agriculture land with validity period of 03 months. However, Environmental Clearances and consents are not been obtained for these activities as it has not been made mandatory by the Mining Department. The Letter of Intent issued by District Collector, Gonda is annexed (**Annexure 04**).

6.1.3. The residents informed that during the summer the mining activities are carried out and excavated material is transported through temporary road on agriculture land and thereafter by crossing the distributaries of the river which remains dry during the summer. Thereafter, small village road of length approx 05 km issued to reach the major road located at the Patpar Ganj Bridge.

6.1.4. Considering the condition and transportation capacity of the temporary and village road, movement of 700 trucks every day is not seems to be feasible.

6.1.5. The representative of Mr. Brij Bhushan Sharan Singh, Member Parliament told to the committee that they do not have any mining lease in the mentioned area of Majharath and Jaitpur villages nor have conducted any illegal mining operations.

6.1.6. As per document made available by Mining Department, Gonda, the mining lease had been issued in the name of Shri Satya Narayan S/o Shri Ram Avtar, R/o. Vill-Manjharath, Tehsil- Tarabganj, District- Gonda in Gata No. 505, area of 0.4580 Hectare land for three months only.

6.1.7. As the mining were not in operations due to the rainy season as well as the temporary approach road through agriculture field sand river distributaries is also under water/mud, the exact status could not get verified. However, taking into account the size and condition of village road movement of 700 trucks per day is not feasible.

6.2. Storage and illegal sale of minor mineral measuring about 20 lakh cubic meters.

6.2.1. The Mining Department informed that three sand storage areas are located near by the area in question. Out of these three-storage areas, one at Laua Beerpur is having storage license in the of Shri Umesh Kumar Singh, R/o- Vill- Khanpur, P.S.- Wazirganj, Tehsil- Tarabganj, District- Gonda for storage of 5000 cubic meter ordinary sand at Gata No.- 3318 (**Annexure- 05**). and sand is stored in unauthorized way at remaining two storage areas at Nawabganj gird and Paraspur without obtaining any storage permission. These two unauthorized storages have already been sealed by the Mining department. The sealing certificates as provided by Mining Department, Gonda are annexed as (**Annexure- 06 & 07**).

6.2.2. The committee visited all these three storage areas during the visit. The Mining Inspector, Gonda informed that around 1600 cubic meter sand is stored in authorized storage area at Laua Beerpur and 9337.5 cubic meter and 464 cubic meter sand is stored at unauthorized storage areas at Nawabganj Gird and Paraspur respectively.

6.2.3. Considering the above total storage of sand (Authorized and unauthorized sealed) is around 11,401.5 cubic meter only. And as such huge storage of 20 lakh cubic meter sand as mentioned by the applicant was note existed/ traced at the location.

6.3. Damage caused to Patpar Ganj Bridge and Road by overloaded trucks.

6.3.1. The committee visited the mentioned bridge during the visit. The bridge was visually found in condition.

6.3.2. The road adjoining the bridge is local district road and having several potholes. However, it is difficult to conclude that these potholes are created only by the sand transportation.

7. Findings of the Committee:

7.1. However, the applicant could not present before the Committee. Therefore, the sites mentioned in the order of the Hon'ble NGT were inspected on the basis of the documents provided by the Mining Department, Gonda and the District Authority, District Ayodhya. However, the committee's view is in contradiction of the facts mentioned by the complainant with respect to the movement of 700 trucks per day from village road at Majharath – Jaitpur and storage of 20 lakh cubic meter sand.

7.2. The mining was not in operation due to the rainy season and hence the actual status of impact of mining operations (if any) on surrounding environment could not be verified.

7.3. The committee is in opinion to implement the provisions of Environmental Clearance for short term mining which is mainly allowed for removal of sand from agriculture land.

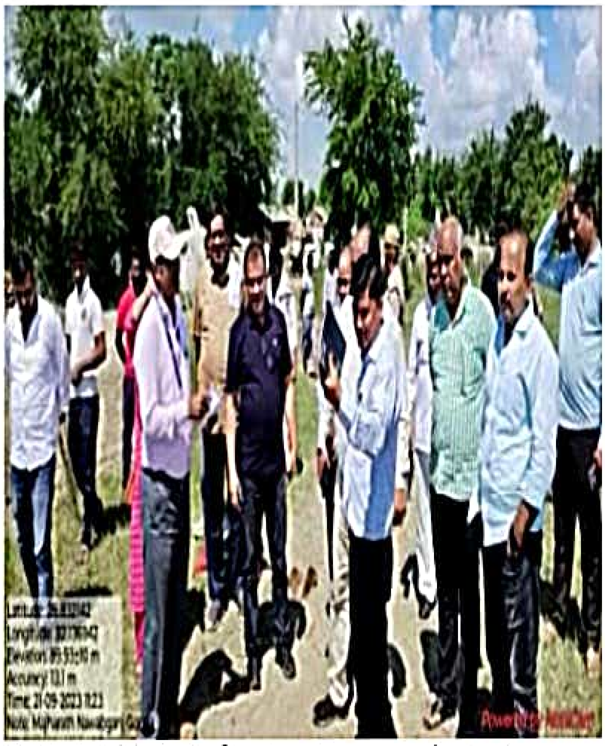

Pic.01: Field Visit of Committee members at Majharath, Jaitpur Village

Pic.02: Crossing the distributaries (bifurcated river stream) of River Saryu

Pic.03: Walking through muddy path sand sugarcane field to reach the Sand mining site at Majharath village

Pic.04: Nearest point of mining site, the site was found fully in undated by river Saryu.

Pic.05: Patpar Ganj Bridge

Pic.06: Nawabganj Gird *(Sand Stock)*

Pic.07: Laua Birpur *(Sand Stock)*

Name	Designation & Department	Signature
Suresh Kumar Soni	ADM, Gonda	[signature]
Dr. Satya	Additional Director/Scientist 'E', MOEF & CC, Regional Office, Lucknow	[signature] 25-10-23
Rajendra D Patil	Scientist-D, CPCB RD-Lucknow	[signature] 25-10-2023
Dr. Faiz Ullah Khan	EC, NMCG, New Delhi	Faizullah
T.N. Singh	Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ayodhya	[signature]

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन : 05278-245411
Tele : 05278-245411
Email- roayodhya@uppcb.in

Annexure-1(i)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

सन्दर्भ सं0
Ref. No. : 183/O17 No.-162/2023/2023

दिनांक
Dated : 13.9.2023

सेवा में,

श्री राजा राम सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह,
नि0- 287/4, मिलेट्री कैन्ट, गुप्तारघाट,
अयोध्या

विषय- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 462/2023 राजा राम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-462/2023 राजा राम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | आप द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित याचिका संख्या- 462/2023 राजा राम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में निम्नांकित आदेश पारित किये गये है |

...... *"In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Ministry of Environment, Forest and 2 Climate Change (MoEF&CC), Central Pollution Control Board (CPCB), National Mission for Clean Ganga (NMCG), Uttar Pradesh Pollution Control (UPPCB) and District Magistrate, Gonda and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The Committee may particularly clarify on compliance with Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 including remediation/rehabilitation of mined areas and damage caused to river Saryu. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance"*

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु प्रश्नगत विभागों द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 21.09.2023 को पूर्वान्ह 10 बजे प्रस्तावित है | उपरोक्त निरीक्षण में आपको भी उपस्थित रहने हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा आदेश पारित किये गये है |

अतः आपसे अनुरोध है कि संयुक्त समिति के प्रस्तावित निरीक्षण तिथि 21.09.2023 को पूर्वान्ह 10 बजे शिकायती स्थल पर समस्त शिकायती प्रपत्रों तथा फोटोग्राफ्स के साथ उपस्थित रहने का कष्ट करें, जिससे कि निरीक्षण सम्पादित कर आख्या मा0 एन0जी0टी0 में ससमय दाखिल की जा सके |

भवदीय
13/09/2023
(डा0 त्रिलोकी नाथ सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित |

1- अपर जिलाधिकारी, जनपद- गोण्डा |
2- डा0 फैज उल्ला खान, इन्फोर्समेन्ट क्वार्डिनेटर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली |
3- डा0 सत्या, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC) |
4- रिजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ |
5- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ |
6- विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ |

13/09/2023
क्षेत्रीय अधिकारी

• 1/17/104, रामनगर कालोनी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या-224001
1/17/104 Ramnagar Colony, Parikrama Marg, Ayodhya-224001

Regional Office
फोन : 05278-245411
Tele : 05278-245411
Email- roayodhya@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

Annexure-1(ii)

सन्दर्भ सं0
Ref. No. : 482/OA-NO-462/2023/2023

दिनांक :
Dated : 13.9.2023

सेवा में,

श्री बृज भूषण शरण सिंह, मा0 सांसद, लोकसभा क्षेत्र-कैसरगंज,
नि0 ग्राम- विश्नोहरपुर, तहसील- तरबगंज,
जनपद- गोण्डा

विषय- <u>मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 462/2023 राजा राम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में</u> |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-462/2023 राजा राम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | श्री राजा राम सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह, नि0- 287/4, मिलेक्ट्री कैन्ट, गुतारघाट, अयोध्या द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित याचिका संख्या- 462/2023 राजा राम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में निम्नांकित आदेश पारित किये गये है |

...... *"In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Ministry of Environment, Forest and 2 Climate Change (MoEF&CC), Central Pollution Control Board (CPCB), National Mission for Clean Ganga (NMCG), Uttar Pradesh Pollution Control (UPPCB) and District Magistrate, Gonda and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The Committee may particularly clarify on compliance with Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 including remediation/rehabilitation of mined areas and damage caused to river Saryu. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance"*

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु प्रश्नगत विभागों द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 21.09.2023 को पूर्वान्ह 10 बजे प्रस्तावित है | उपरोक्त निरीक्षण में आपको भी उपस्थित रहने हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा आदेश पारित किये गये है |

अत: आपसे अनुरोध है कि संयुक्त समिति के प्रस्तावित निरीक्षण तिथि 21.09.2023 को पूर्वान्ह 10 बजे शिकायती स्थल पर समस्त संबंधित प्रपत्रों के साथ उपस्थित रहने का कष्ट करें, जिससे कि निरीक्षण सम्पादित कर आख्या मा0 एन0जी0टी0 में ससमय दाखिल की जा सके |

भवदीय
13/09/2023
(डा0 त्रिलोकी नाथ सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित |

1- अपर जिलाधिकारी, जनपद- गोण्डा |
2- डा0 फैज उल्ला खान, इन्फोर्समेन्ट क्वार्डिनेटर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली |
3- डा0 सत्या, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC) |
4- रिजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, लखनऊ |
5- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, लखनऊ |
6- विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड, लखनऊ |

13/09/2023
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure - 2

13

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

फोन : 05278-245411
Tele : 05278-245411
Email- roayodhya@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, AYODHYA

सन्दर्भ सं० 483/014-NO-462/2023/2023
Ref. No. :

दिनांक : 13.9.2023
Dated :

सेवा में,

श्री राजा राम सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह,
नि0- 287/4, मिलेक्ट्री कैन्ट, गुतारघाट,
अयोध्या

विषय- **मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 462/2023 राजा राम सिंह वनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में |**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या- 462/2023 राजा राम सिंह वनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें | आप द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित याचिका संख्या- 462/2023 राजा राम सिंह वनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में निम्नांकित आदेश पारित किये गये है |

......"*In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Ministry of Environment, Forest and 2 Climate Change (MoEF&CC), Central Pollution Control Board (CPCB), National Mission for Clean Ganga (NMCG), Uttar Pradesh Pollution Control (UPPCB) and District Magistrate, Gonda and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The Committee may particularly clarify on compliance with Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 including remediation/rehabilitation of mined areas and damage caused to river Saryu. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance*"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु प्रश्नगत विभागों द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 21.09.2023 को पूर्वान्ह 10 बजे प्रस्तावित है | उपरोक्त निरीक्षण में आपको भी उपस्थित रहने हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा आदेश पारित किये गये है |

अतः आपसे अनुरोध है कि संयुक्त समिति के प्रस्तावित निरीक्षण तिथि 21.09.2023 को पूर्वान्ह 10 बजे शिकायती स्थल पर समस्त शिकायती प्रपत्रों तथा फोटोग्राफ्स के साथ उपस्थित रहने का कष्ट करें, जिससे कि निरीक्षण सम्पादित कर आख्या मा0 एन0जी0टी0 में ससमय दाखिल की जा सके |

भवदीय
13/09/2023
(डा0 त्रिलोकी नाथ सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

AEE/JA File it. 21/09/2023

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित |

1- अपर जिलाधिकारी, जनपद- गोण्डा |
2- डा0 फैज उल्ला खान, इन्फोर्समेन्ट क्वार्डिनेटर, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली |
3- डा0 सत्या, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC) |
4- रिजनल डायरेक्टर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ |
5- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ |
6- विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ |

क्षेत्रीय अधिकारी

बृजभूषण शरण सिंह
संसद सदस्य
लोक सभा

सदस्य :
• ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति
• युवा और खेल मंत्रालय संबंधी परामर्शदात्री समिति

सत्यमेव जयते

21, अशोक रोड,
नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23346289

Annexure - 3

दिनांक–18.09.2023

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
<u>अयोध्या</u>

आपके द्वारा प्रेषित पत्र सन्दर्भ सं0–482/OA No- 462/2023/2023 दिनांक 13.09.2023 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि दिनांक 21.09.2023 को लोकसभा में उपस्थित रहने के कारण मै व्यक्तिगत रूप से इस कार्यवाही के दौरान स्वयं उपस्थित रहने में असमर्थ हूं। इसलिए मै अपना पक्ष रखने हेतु श्री संजीव कुमार सिंह पुत्र श्री रामलायक सिंह निवासी– मों0 सिविल लाईन जनपद–गोण्डा जो मेरे निजी सचिव हैं उनको अधिकृत करता हूं।

भवदीय

बृजभूषण शरण सिंह
संसद सदस्य

Annexure-4

कार्यालय जिलाधिकारी, गोंडा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक :–२५७७/ख0–अनुज्ञा/2022–23 दिनाँक: 10/03/2023

खनन अनुज्ञा–पत्र

(एमएम–10)

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–52 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत आनलाइन जारी सहमति पत्र(Letter of intent) पत्रांक संख्या–LOI/2022/5/ 11–05–2022 दिनांक 11. 05.2022 द्वारा जनपद–गोंडा के तहसील–तरबगंज स्थित ग्राम– मझाराठ के आराजी गाटा संख्या–505 रकबा 0.4580 हेक्टेयर में कृषि भूमि पर जमा 12824.00 घनमीटर साधारण बालू को हटाने(खनन व परिवहन करने) के लिये खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने के निमित्त सम्बन्धित भूमिधर श्री सत्यनरायन पुत्र श्री रामऔतार निवासी ग्राम– माझाराठ, तहसील–तरबगंज जनपद–गोंडा के पक्ष में आशय पत्र (Letter of intent) निर्गत किया गया है। आवेदक/भूमिधर द्वारा आशय पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में रू0 130.00 प्रतिघनमीटर की दर से अनुज्ञप्त उपखनिज साधारण बालू की कुल मात्रा यानी 12,824,00 घनमीटर साधारण बालू पर देय रायल्टी की सम्पूर्ण धनराशि रू0 16,67,120.00 को चालान संख्या–A500045 *दिनांक 05.01.2023* द्वारा अग्रिम रूप से जमा कर दिया गया है। उपरोक्त क्षेत्र को खनन परिहार पर 03 माह हेतु स्वीकृत किया जाना है।

अतः निम्नलिखित शर्तो के आधीन सम्बन्धित आवेदक/ भू–स्वामी (श्री सत्यनरायन पुत्र श्री रामऔतार निवासी ग्राम–माझाराठ, तहसील–तरबगंज जनपद–गोंडा) के पक्ष में 03 माह (दिनांक– 13 /03 / 2023 से दिनांक 12 / 06 /2023 तक) की अवधि के अन्दर उपरोक्त कृषि भूमि से 12,824.00 घनमीटर साधारण बालू का खनन व परिवहन करने हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जाता है:–

क्र0 स0	क्षेत्र का विवरण				जियो कोआर्डिनेट		अनुज्ञप्त उपखनिज (बालू/मोरम) की मात्रा (घनमीटर)	नियम–52(2) के अनुसार देय न्यूनतम रॉयल्टी की दर (रू0 प्रति घनमीटर)	देय रॉयल्टी की कुल धनराशि (रू0 में) (8x9)	देय डी0एम0एफ0 की कुल धनराशि (रू0 में)
	तहसील	ग्राम	आराजी संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	NORTHING	EASTING				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	तरबगंज	माझाराठ	505	0.4580	A-26°49'18.58" B-26°49'18.11" C-26°49'14.93" D-26°49'12.71" E-26°49'12.96" F-26°49'16.53"	A-82°08'02.36" B-82°08'03.32" C-82°08'01.72" D-82°08'00.59" E-82°08'00.01" F-82°08'01.56"	12,824.00	130.00	16,67,120.00	16,67,12.00

शर्तें:

1– अनुज्ञा पत्र पूर्व निर्धारित 03माह की समाप्ति के दिनांक तक अथवा ऐसे दिनांक तक जबतक खनिज की अनुज्ञप्त मात्रा हटा न ली जाये।, इनमें से जो भी पहले हो के लिये वैध रहेगा।

2– खनन अनुज्ञा पत्र के आधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्रो का कोंडिनेट्स अंकित करायेगा।

3– खनन संक्रियाओ का संचालन उचित और दक्षपूर्ण कुशल कारीगर की भाति करेगे।

4– नियम–35 में उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार परिवहन की निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री दृश्यता रिकॉर्डिग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित एक चेक पोस्ट/गेट का निर्माण किया जायेगा। उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आइ0डी0 स्कैन भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र मे परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये प्रपत्र ई–एम0एम0 11 पर अंकित क्यू0आर0 कोड/बारकोड का डाटा पढने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं संदैव उसे चालू रूप से अनुरक्षित रखेगा। उक्त सभी सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरो द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिग को कम से कम तीस दिन तक सुरक्षित रखेगा और नियम–67 के उपबन्धो के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकॉर्डिग मांगे जाने पर समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध करायेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा मे नियमावली,2021 के नियम–60 के अन्तर्गत वह शास्ति का भागीदार होगा।

प्राप्त किया

निशान सत्यनारायण

5— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांकः 05.09.2018 के अनुपालन मे पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवा कर निदेशालय मे स्थापित कमाण्ड सेन्टर मे प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर मे इन्टीग्रेट करायेगा। इन्टीग्रेट मे स्थ्ति तौल मशीन मे निम्न Features का होना आवश्यक है:—

(1) The weigh bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.

(2) The weigh bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.

6— तीन मीटर अथवा जल स्तर, दोनो मे से जो कम हो, से परे कोई खनन संक्रियायें नही की जायेगी।

7— उपखनिजो(साधारण बालू) का परिवहन प्रपत्र—ई0एमएम0—11 के माध्यम से किया जायेगा।

8— स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहॉं परिवहन हेतु प्रपत्र ई—एम0एम0 11 निर्गत किया जायेगा, वहॉं पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जायेगा।

9— राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों मे कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है, तो वह परिहार धारक को मान्य होगी।

10— माननीय उच्च न्यायलय,मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

11— जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र मे खनन कार्य नही किया जायेगा।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

पत्रांक व तद् दिनांकः—

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
4— अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)गोण्डा।
5— उपजिलाधिकारी तरबगंज जनपद गोण्डा।
6— क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

कार्यालय जिलाधिकारी, गोण्डा
(खनिज अनुभाग)
संयुक्त सीमांकन आख्या

अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के पत्र संख्या 1787/एम0-प्रतीक्षा सूची/2020 दिनांक 24.2.2023 क्र0 119/जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0–2465/खनिज–30/2023 दिनांक 23.2.2023 के अनुपालन में मे0/श्री सत्यनारायण पुत्र राम औतार के पक्ष में स्वीकृत ई–नीलाम खनन पट्टा/अनुज्ञा पत्र जनपद तहसील तरबगंज स्थित ग्राम माझाराठ के आराजी सं0–505 खण्ड सं0– —— रकबा/क्षेत्रफल 0.458हे0 हे0/एकड़ क्षेत्र का दिनांक 01.03.2023 को क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक श्री सीता राम उपस्थित के सहयोग से संदर्भ बिन्दु RP1 265/269 मौजूदा की सीमा संदर्भ बिन्दु से सीमांकन थ्योडोलाइट/टोटल स्टेशन, हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र को मौके पर स्वीकृत क्षेत्र के सभी सीमा चिन्हो A, B, C, D, E F A —— को मौके पर चिन्हित कर दिया गया है। सीमांकन कार्य से पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक संतुष्ट एवं सहमत है। पट्टाधारक/प्रतिनिधि को चिन्हित सीमा चिन्हो पर निर्धारित मापदण्ड के पक्का सीमा स्तम्भ का निर्माण कराकर फोटो सहित सात कार्य दिवस के भीतर जिला कार्यालय को सूचित करने हेतु मौके पर निर्देशित किया गया है। मौके पर सीमा स्तम्भों को हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 से लिया गया अक्षांश/देशांतर निम्नवत है :– मौके पर सीमा चिन्ह पर बल्ली गाड़वा दिया।

बिन्दु	अक्षांश (Latiude)	देशांतर (Longitude)
A–	26°–49'–18.58" N	82°–08'–02.36" E
B–	26–49–18.11 N	82–08–03.32" E
C–	26–49–14.93 N	82–08–01.72E
D–	26–49–12.71" N	82–08'–00.59E
E–	26–49–12.96 N	82–08'–00.01"
F–	26–49–16.53 N	82–08–01.56"

स्वीकृत/सीमांकित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नवत है :–

उत्तर– आ.सं. की सीमा।

दक्षिण– आ.सं. की सीमा।

पूरब– आ.सं. की सीमा।

पश्चिम– आ.सं. की सीमा।

कुलदीपकुमार

वास्ते सत्यनारायण वास्ते
खनन पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक या उसका प्रतिनिधि

लेखपाल/रा0निरी0
सीताराम

01.3.2023
सर्वेक्षक/वरि0 सर्वेक्षक (आशीष यादव) सर्वेक्षक

01/03/2023
खान निरीक्षक/खान अधिकारी

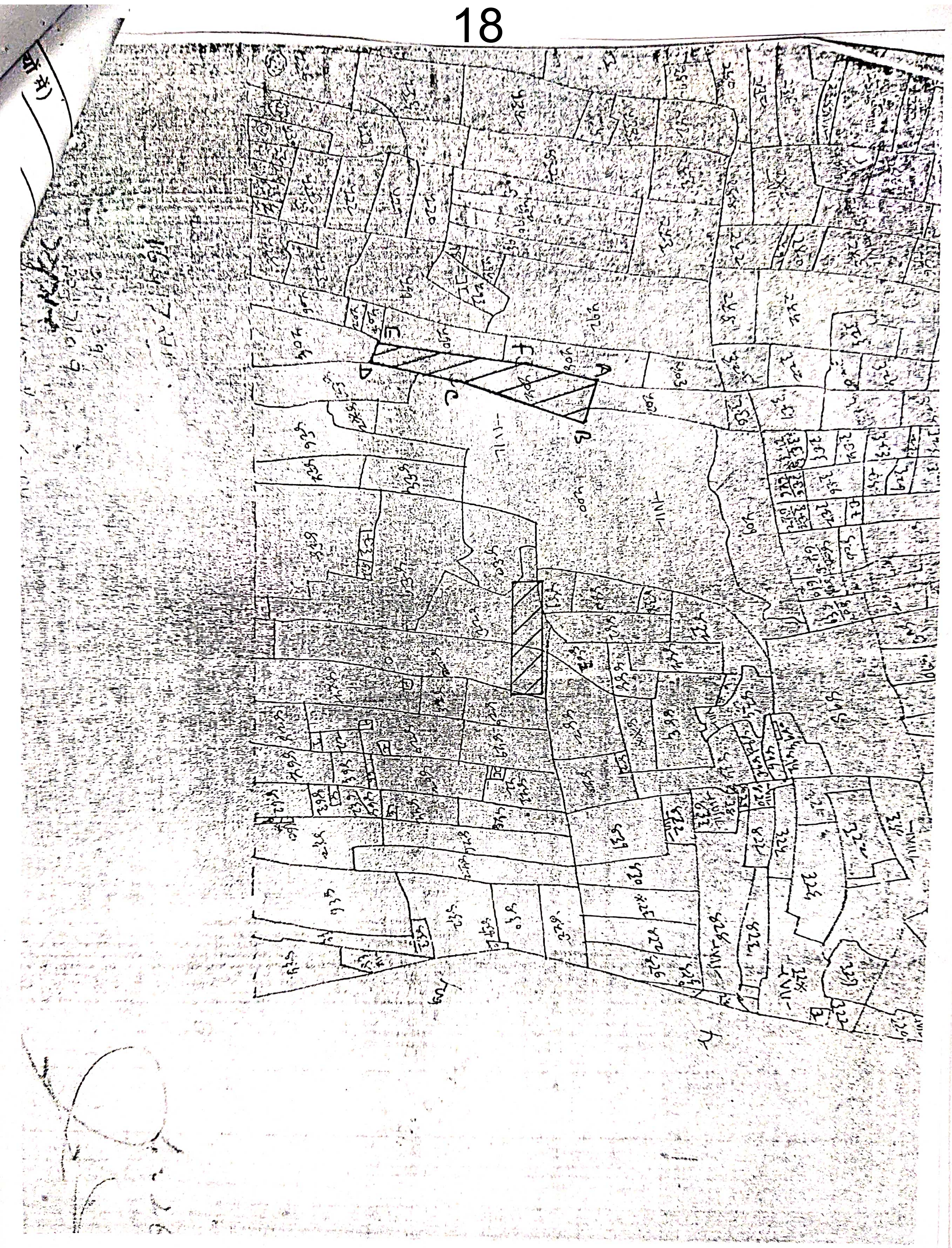

Annexure-5

(45)

प्रपत्र–ख

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति

(नियम–6 देखिए)

संख्या– 2513 / खनन / भण्डा0 / 2023, दिनांक 01/04/2023

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता– **श्री उमेश कुमार सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह निवासी– खानपुर, थाना–वजीरगंज, तहसील–तरबगंज, जनपद–गोण्डा।**
2. अनुज्ञप्ति की अवधि– दिनांक 09/10/2023
3. भण्डारण की अनुज्ञा प्राप्त खनिजों की मात्रा :– साधारण बालू 5000घनमीटर
4. प्रत्येक खनिज की एक ही समय में अनुज्ञा प्राप्त मात्रा :– साधारण बालू 5000घनमीटर
5. भण्डारण का प्रयोजन :– बिक्री
6. खनिजों के भण्डारण हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति:–

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	गाटा सं0	अवस्थिति हे0 में
1	2	3	4	5
गोण्डा	तरबगंज	[illegible]	3318	0.3830

अनुज्ञप्ति की शर्तें:–

1. भण्डारण स्थल पर प्रमुखता से विक्रय मूल्य अनुज्ञप्तिधारी प्रदर्शित करें।
2. अनुज्ञप्तिधारी को स्टाक के समुचित अनुश्रवण हेतु सीसीटीवी कैमरा और जांच द्वारा अभिनियोजित करना होगा तथा, उसकी रिकार्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी।
3. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वर्ष 30 जून तक साधारण बालू की भण्डारित मात्रा के 90प्रतिशत स्टाक का निस्तारण करते हुए, इस आशय का घोषणापत्र अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा।
4. भण्डारित उपखनिजों का परिवहन प्रपत्र ग के द्वारा किया जायेगा, जिसका लेखा अद्यावधिक स्थिति में भण्डारित स्थल पर रखना अनिवार्य होगा।
   अनुज्ञप्तिधारक को प्रपत्र ङ मासिक विवरणी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
5. खनिज का भण्डारण करने के दौरान अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त उक्त भू–खण्ड के आस–पास स्थित किसी आबादी, सार्वजनिक स्थल एवं सार्वजनिक सड़क मार्ग आदि को क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।
6. समस्त रिपोर्ट, विवरणीयां और राजिस्टर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरक्षित किये जायेगें, और कारोबार स्थल पर रखे जायेगें तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेगें।

(५५)

7. अनुज्ञप्तिधारी खनिजों को भण्डारित करते हुए अथवा उन्हें प्रसंस्करण संयत्र या सज्जीकरण संयत्र या कारखाना में उपयोग करते समय पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी को खान निदेशालय के निरीक्षण कर्ता अधिकारियों को खनिज स्टाक का सत्यापन करने और नमूना तथा अभिलेखों का उद्धरण ग्रहण करने हेतु भण्डारण, कारखाना, प्रसंस्करण संयत्र तथा सज्जीकरण संयत्र का निरीक्षण करने देना होगा।
9. अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान किसी भी समय अनुज्ञप्ति के शर्तों को अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भंग किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

स्थान–गोण्डा।
दिनांक– / /2023

(डा0 उज्जवल कुमार)
जिलाधिकारी,
गोण्डा।

कार्यालय जिलाधिकारी, गोण्डा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक /खनन/2022–23/भण्डा0/2023, दिनांक / /2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. उपजिलाधिकारी तरबगंज।
2. क्षेत्राधिकारी पुलिस, वजीरगंज, जनपद गोण्डा।
3. खान निरीक्षक गोण्डा।
4. थानााध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक, वजीरगंज जनपद गोण्डा।
5. अनुज्ञप्तिधारी– श्री उमेश कुमार सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी ग्राम–खानपुर तहसील तरबगंज जनपद–गोण्डा।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

Annexure-6

कार्यालय उप जिलाधिकारी, तरबगंज–गोण्डा।

संख्या 367 / आ०लि०(जांच आख्या) / 23

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

दिनांक 4 अगस्त, 2023

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि –

1. आज दिनांक 04.8.2023 को नवाबगंज गिर्द तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा में अवैध बालू भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर राजस्व टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी तरबगंज तहसीलदार तरबगंज की उपस्थिति में स्थलीय / अभिलेखीय निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि गाटा संख्या 129 / 1.1606 स्थित ग्राम नवाबगंज गिर्द जो डी०ए०वी०इण्टर कालेज नवाबगंज के नाम दर्ज अभिलेख है, में क्षेत्रफल लगभग 3242 वर्गमीटर पर लगभग 4 मी० ऊंचाई (औसतन) बालू भण्डारण पाया गया। स्थलीय जांच के समय अखण्ड प्रताप सिंह निवासी बिश्नोहरपुर ने उपस्थित आकर बताया कि प्रश्नगत भण्डारण के सम्बन्ध में नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त है जिस सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी गोण्डा के पत्रांक 2512 / खनन / भण्डारण / 2023 दिनांक 6.4.2023 प्रपत्र ख अनुज्ञप्ति भण्डारण हेतु की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत अनुज्ञप्ति श्री उमेश कुमार सिंह पुत्र जितेन्द्र बहादुर निवासी खानपुर थाना वजीरगंज तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा के नाम साधारण बालू मात्रा 5000 घनमीटर के भण्डारण हेतु ग्राम लोन्हावीरपुर तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा की गाटा संख्या 3318 / 0.383 में निर्गत है, जबकि भण्डारित बालू निर्गत अनुज्ञप्ति से भिन्न गाटा संख्या 129 नवाबगंज गिर्द में भण्डारित है। संलग्नक 1 व 2 खतौनी।

अतः स्थलीय जांच के समय पाये गये भण्डारित साधारण बालू को भण्डारण की निर्गत अनुज्ञा से भिन्न स्थल पर बिना अनुमति के भण्डारित करने के कारण थाना नवाबगंज के अभिरक्षा में दिया गया तथा अपेक्षा की गयी कि सक्षम स्तर से उक्त बालू के सम्बन्ध में अग्रिम आदेश होने तक 24 घण्टे प्रतिक्षण निगरानी सुनिश्चित कराते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करें।

2. आज दिनांक 4.8.2023 को राजस्व ग्राम परसापुर परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा में अवैध बालू भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर राजस्व व पुलिस टीम के द्वारा तहसीलदार तरबगंज की उपस्थिति में स्थलीय / अभिलेखीय निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि ग्राम परसापुर में स्थित गाटा संख्या 1374 / 4.01180 जो राजस्व अभिलेखों में खातेदारी के रूप में संक्रमणीय भूमि दर्ज है, के क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्गमीटर पर औसतन 2.5 मीटर ऊंचाई तक साधारण बालू का भण्डारण पाया गया। स्थलीय जांच के समय कोई भी व्यक्ति प्रश्नगत भण्डारित साधारण बालू के सम्बन्ध में न तो कोई दावा करने आया और न ही किसी व्यक्ति के द्वारा भण्डारण के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त करने का साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। संलग्नक 3 खतौनी।

उक्त स्थल पर भण्डारित साधारण बालू को सक्षम स्तर से कोई अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक थाना नवाबगंज की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया तथा अवगत कराया गया कि उक्त भण्डारित साधारण बालू की 24 घण्टे (प्रतिक्षण) निगरानी कराते हुए सुरक्षा कराया जाना सुनिश्चित करें।

S862
ADM
जिलाधिकारी
4778
खान निरी०

संलग्नक– यथोपरि।

उप जिलाधिकारी,
तरबगंज–गोण्डा।

07/8/23

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त महोदय देवी पाटन मण्डल गोण्डा को सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय गोण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी खनन / अपर जिलाधिकारी महोदय गोण्डा को सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. खान निरीक्षक गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त स्थलों का तत्काल निरीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही कर अवगत करायें।

उप जिलाधिकारी,
तरबगंज–गोण्डा।

Annexure-6

कार्यालय उप जिलाधिकारी, तरबगंज–गोण्डा।

संख्या 367 / आ0लि0(जांच आख्या) / 23

दिनांक 4 अगस्त, 2023

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि –

1. आज दिनांक 04.8.2023 को नवाबगंज गिर्द तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा में अवैध बालू भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर राजस्व टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी तरबगंज तहसीलदार तरबगंज की उपस्थिति में स्थलीय / अभिलेखीय निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि गाटा संख्या 129 / 1.1606 स्थित ग्राम नवाबगंज गिर्द जो डी0ए0वी0इण्टर कालेज नवाबगंज के नाम दर्ज अभिलेख है, में क्षेत्रफल लगभग 3242 वर्गमीटर पर लगभग 4 मी0 ऊंचाई (औसतन) बालू भण्डारण पाया गया। स्थलीय जांच के समय अखण्ड प्रताप सिंह निवासी विश्नोहरपुर ने उपस्थित आकर बताया कि प्रश्नगत भण्डारण के सम्बन्ध में नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त है जिस सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी गोण्डा के पत्रांक 2513 / खनन / भण्डारण / 2023 दिनांक 6.4.2023 प्रपत्र ख अनुज्ञप्ति भण्डारण हेतु की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत अनुज्ञप्ति श्री उमेश कुमार सिंह पुत्र जितेन्द्र बहादुर निवासी खानपुर थाना कर्नलगंज तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा के नाम साधारण बालू मात्रा 5000 घनमीटर के भण्डारण हेतु ग्राम लोनावीरपुर तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा की गाटा संख्या 3318 / 0.383 में निर्गत है, जबकि भण्डारित बालू निर्गत अनुज्ञप्ति से भिन्न गाटा संख्या 129 नवाबगंज गिर्द में भण्डारित है। संलग्नक 1 व 2 खतौनी।

अतः स्थलीय जांच के समय पाये गये भण्डारित साधारण बालू को भण्डारण की निर्गत अनुज्ञा से भिन्न स्थल पर बिना अनुमति के भण्डारित करने के कारण थाना नवाबगंज के अभिरक्षा में दिया गया तथा अपेक्षा की गयी कि सक्षम स्तर से उक्त बालू के सम्बन्ध में अग्रिम आदेश होने तक 24 घण्टे प्रतिक्षण निगरानी सुनिश्चित कराते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करें।

5862

ADM

जिलाधिकारी

2. आज दिनांक 4.8.2023 को राजस्व ग्राम परसापुर परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज जनपद गोण्डा में अवैध बालू भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर राजस्व व पुलिस टीम के द्वारा तहसीलदार तरबगंज की उपस्थिति में स्थलीय / अभिलेखीय निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि ग्राम परसापुर में स्थित गाटा संख्या 1374 / 4.01180 जो राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज है, के क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्गमीटर पर औसतन 2.5 मीटर ऊंचाई तक साधारण बालू का भण्डारण पाया गया। स्थलीय जांच के समय कोई भी व्यक्ति प्रश्नगत भण्डारित साधारण बालू के सम्बन्ध में न तो कोई दावा करने आया और न ही किसी व्यक्ति के द्वारा भण्डारण के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त करने का साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। संलग्नक 3 खतौनी।

4778

खान निरी0

उक्त स्थल पर भण्डारित साधारण बालू को सक्षम स्तर से कोई अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक थाना नवाबगंज की पुलिस अभिरक्षा में दिया गया तथा अवगत कराया गया कि उक्त भण्डारित साधारण बालू की 24 घण्टे (प्रतिक्षण) निगरानी कराते हुए सुरक्षा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरि।

उप जिलाधिकारी,
तरबगंज–गोण्डा।

07/8/23

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त महोदय देवी पाटन मण्डल गोण्डा को सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय गोण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी खनन / अपर जिलाधिकारी महोदय गोण्डा को सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. खान निरीक्षक गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त स्थलों का तत्काल निरीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही कर अवगत करायें।

उप जिलाधिकारी,
तरबगंज–गोण्डा।

Annexure-7

सेवा में,
जिलाधिकारी गोण्डा

महोदया,

कार्यालय जिलाधिकारी के कार्यालय ज्ञाप 2793/ख०लि०/ज 2023 दिनांक 11.08.2023 के अनुपालन में गठित टीम के सभी सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक 12-08-2023 को ग्राम नवाबगंज गिर्द के गाटा सं० 129/1.606 हे० जो अभिलेख में डी०ए०वी० इण्टर कालेज के नाम दर्ज है एवं ग्राम परजापुर की गाटा सं० 1374/4.011 हे० जो अभिलेखों में सह खातेदारों के रूप में संक्रमणीय भूमि दर्ज है पर अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू की मात्रा की जांच/पैमाइश की गयी जो निम्नवत है।

ग्राम नवाबगंज गिर्द की गाटा सं० 129/1.606 में भण्डारित सा० बालू टीलेनुमा है जिसकी पैमाइश 05 ब्लाक में विभाजित कर किया गया जो निम्नवत है।-

Block-1- 27 मी० x 25 x 3.5 = 2362.5 घन मी०
" 2- 60 x 13 x 3.5 = 2730 घन मी०
" 3- 15 x 17 x 3.00 = 765 घन मी०
" 4- 55 x 10.5 x 4.00 = 2310 घन मी०
" 5- 45 x 13 x 2.00 = 1170 घन मी०

योग 9337.5 घनमी०

· ग्राम परजापुर में अवैध रूप से भण्डारित सा० बालू की मात्रा की पैमाइश की गयी जिसकी लम्बाई 60 x 50 x 1.6 मी० = 4800 घनमी० भण्डारित बालू एक ढेर के रूप में है। जिसके एक किनारे पर बालू का भण्डारण नहीं है। खाली स्थान की माप की गयी जिसकी 15 मी० x 14 मी० पायी गयी जो 336 घन मी० हुआ अतः 4800 घन मी० में 336 घन मी० घटाने पर कुल 4464 घन मी साधारण बालू का भण्डारण मौके पर पाया गया। उपरोक्त भण्डारण के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ पूछ ताछ करने पर भण्डारित साधारण बालू के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी के द्वारा कुछ नहीं बताया गया। पैमाइश के समय लिये गये फोटोग्राफ आख्या के साथ संलग्न है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

12-08-23 राजस्व निरीक्षक — हीरामणि मिश्र, लेखपाल, क्षेत्र........ — 12/08/2023 राजस्व निरीक्षक — 12/08/2023 M.I — 12.08.23 Ex.O — 12.8.23 R.O. Ayodhya Distt. Ambedkar Nagar

Annexure-7

सेवा में,
जिलाधिकारी गोण्डा

महोदय,
कार्यालय जिलाधिकारी के कार्यालय ज्ञाप 2793/ख०लि०/ज सभी 2023 दिनांक 11.08.2023 के अनुपालन में गठित टीम के सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक 12-08-2023 को ग्राम नवाबगंज गिर्द के गाटा सं० 129/1.606 हे० जो अभिलेख में डी०ए०वी० इन्टर कालेज के नाम दर्ज है एवं ग्राम परसापुर की गाटा सं० 1374/4.011 हे० जो अभिलेखों में नर खातेदारों के रूप में संक्रमणीय भूमि दर्ज है, पर अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू की मात्रा की जांच/पैमाइश की गयी जो निम्नवत है।

ग्राम नवाबगंज गिर्द की गाटा सं० 129/1.606 में भण्डारित सा० बालू टीलेनुमा है जिसकी पैमाइश 05 ब्लाक में विभाजित कर किया गया जो निम्नवत है।-

Block-1-	27 मी० × 25 × 3.5	= 2312.5	घन मी०
" 2-	60 × 13 × 3.5	= 2730	घन मी०
" 3-	15 × 17 × 3.00	= 765	घन मी०
" 4-	55 × 10.5 × 4.00	= 2310	घन मी०
" 5-	45 × 13 × 2.00	= 1170	घन मी०
	योग	9337.5	घन मी०

· ग्राम परसापुर में अवैध रूप से भण्डारित सा० बालू की मात्रा की पैमाइश की गयी जिसकी लम्बाई 60 × 50 × 1.6 मी० = 4800 घनमी० भण्डारित बालू एक ढेर के रूप में है। जिसके एक किनारे पर बालू का भण्डारण नहीं है। खाली स्थान की माप की गयी जिसकी 15 मी० × 14 मी० पायी गयी जो 336 घन मी० हुआ अतः 4800 घन मी० में 336 घन मी० घटाने पर कुल 4464 घन मी साधारण बालू का भण्डारण मौके पर पाया गया। उपरोक्त भण्डारण के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ पूछताछ करने पर भण्डारित साधारण बालू के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी के द्वारा कुछ नहीं बताया गया। पैमाइश के समय लिये गये फोटोग्राफ आख्या के साथ संलग्न है।

आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 12-08-23 राजस्व निरीक्षक
(हस्ताक्षर) 12.08.2023 हीरामणि मिश्र लेखपाल लेखपाल क्षेत्र.........
(हस्ताक्षर) 12/08/2023 ... मिश्र राजस्व निरीक्षक क्षेत्र-... तहसील ...
(हस्ताक्षर) 12/08/2023 M.I
(हस्ताक्षर) 12.08.23 Jr. E.
(हस्ताक्षर) 12.8.23 R.O. AYODHYA Divn. Ayodhya